दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनॉक 14.08.2015 की कार्यवृत्त

समय : 12.30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	सदस्य
3.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
4.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
5.	प्रो0 डी0एन0 यादव	सदस्य
6.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
7.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
8.	डॉ0 के0के0 यादव	सदस्य
9.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
11.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
14.	डॉ0 (श्रीमती) शोभा गौड़	सदस्य
15.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
16.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	सचिव

बैठक में श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निवर्तमान सदस्य डॉ0 सुनीता मुर्मू, उपाचार्य–अंग्रेजी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डॉ0 रूसीराम महानन्दा, राजनीतिशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 श्रीमती शोभा गौड़, उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की।

तत्पश्चात् दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध महाविद्यालयों में, एक से अधिक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षको के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति के सचिव के पत्र संख्या : ई–7301 / 7–जी0एस0 / 2015–IV दिनांक 05.08.2015 एवं सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या 559 कैम्प / पीएसउ0शि0 / 2015 दिनांक 15 जुलाई, 2015 विचार किया गया।

बैठक में उपर्युक्त पत्रों पर विचार करते हुए सभी सदस्यों ने सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों के एक से अधिक महाविद्यालयों में कार्यरत होने के प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन एवं शासन को अवगत कराकर ऐसे शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही की सराहना की, जिससे परिणामतः बहुत सारे शिक्षकों ने इसे संज्ञान में लिया और अतिरिक्त महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के शिक्षक पद से त्याग पत्र दे दिया। इस तरह सूची प्रकाशित करने की कार्यवाही पूर्ण हो गयी। अतः यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोडेड इस सूची को अस्थायी तौर पर हटा दिया जाय।

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन एवं उसके अनुमोदन की प्रक्रिया पर सम्यक् विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

1. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार करने के सम्बन्ध में परिनियम निर्मित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कुलपति जी को अधिकृत किया जाय।

2. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में शिक्षक चयन हेतु यदि कोई अध्यापक एक से अधिक महाविद्यालय में कार्यरत रहते हुए दूसरे मिहाविद्यालय में आवेदन करना चाहता है, तो वह कार्यरत महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही आवेदन करे। यदि किसी अध्यापक के आवेदन पत्र के साथ कार्यरत महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न न हो, तो उसका चयन न किया जाय।

3. जिन शिक्षकों का चयन स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत होता है, उनके नियुक्ति एवं अनुबन्ध पत्रों में वेतन का विवरण अवश्य दर्शाया जाय। उनके फोटो सहित पूरा विवरण महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

4. अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाले शपथ–पत्र में उसकी यह स्वीकारोक्ति भी अवश्य हो कि वह किसी महाविद्यालय में नियुक्त नहीं है और यदि अन्यत्र नियुक्त होने की सूचना प्राप्त हो तो उसकी सभी नियुक्तियाँ निरस्त कर दी जायं।

5. स्ववित्त पोषित महाविद्यालय अपने सभी पाठ्यक्रमों का फीस ढाँचा तैयार करके महाविद्यालय की विवरणिका में अवश्य दर्शायें और उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध करायें।

6. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण–मण्डल भेज कर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का भौतिक सत्यापन कराया जाय।

7. सभी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष पूरे वर्ष का लेखा–जोखा (आडिट रिपोर्ट) विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें एवं इसे महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड करें।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति